

इसे वेबसाइट [www.govtpress.mp.gov.in](http://www.govtpress.mp.gov.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 67]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 मार्च 2026—फाल्गुन 21, शक 1947

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2026

क्र. एफ-1-5-0001-2026-छब्बीस-1.— दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिये पदों के चिन्हांकन के लिये समिति, एतद्वारा, अनुसूची-एक में राजस्व विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है :-

अनुसूची-एक

1. राजस्व विभाग

## अनुसूची - दो

दिव्यांगजनों के लिए चिन्तकृत पदों की जानकारी

विभाग का नाम : राजस्व विभाग (शु-अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल)

| पद की श्रेणी   | पद/स्वर्ग का नाम | सीपी भर्ती के कुल स्वीकृत पद | सीपी भर्ती के कुल द्वारा भरे हुए पद | रिक्त पद (3-3a) | दिव्यांगजनों के लिए चिन्तकृत पदों की कुल संख्या का कुल योग (3b) | दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1-5%) चिन्तकृत पद | भरे पद | रिक्त पद | श्रवणबाधित और कम सुनने वाले चिन्तकृत पद | भरे पद | रिक्त पद | लोकमोहोर डिसेबिलिटी जिसमें सन्मिलित है, सेरेबल पाल्सी कुछ रोग गुल्म, बौनापन, एरिड, अर्देक, पोडित मस्कुलर डिस्ट्रोफी (1-5%) चिन्तकृत पद | भरे पद | रिक्त पद | ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहु-विकलांगता चिन्तकृत पद (1-5%) | भरे पद | रिक्त पद | दिव्यांगजनों को आवंटित का कुल योग (5+8+11+14) | कुल भरे पद (6+9+12+15) | कुल रिक्त पद (7+10+13+16) | रिक्त पदों की पूर्ति का तक की जावेगी |
|----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                |                  |                              |                                     |                 |                                                                 |                                              |        |          |                                         |        |          |                                                                                                                                        |        |          |                                                                                                               |        |          |                                               |                        |                           |                                      |
| 1              | 2                | 3                            | 3(a)                                | 3(b)            | 4                                                               | 5                                            | 6      | 7        | 8                                       | 9      | 10       | 11                                                                                                                                     | 12     | 13       | 14                                                                                                            | 15     | 16       | 17                                            | 18                     | 19                        | 20                                   |
| तृतीय (संविदा) | घरा इंदी ओपरेटर  | 770                          | 0                                   | 770             | 46                                                              | 11                                           | 0      | 11       | 12                                      | 0      | 12       | 12                                                                                                                                     | 12     | 0        | 11                                                                                                            | 0      | 11       | 46                                            | 0                      | 46                        |                                      |
|                | कुल योग          | 770                          | 0                                   | 770             | 46                                                              | 11                                           | 0      | 11       | 12                                      | 0      | 12       | 12                                                                                                                                     | 12     | 0        | 11                                                                                                            | 0      | 11       | 46                                            | 0                      | 46                        |                                      |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अंकित धाकरे, उपसचिव.